

*kids received
the phone.
Rughe Rani Ji
Sulthan*



राजस्थान रिंचूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

CIN No. U40101RJ1995SGC009847

ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, री-रकीम, जयपुर-302001 (राजस्थान)

फोन नंबर- 0141-2229055, 2221650

Email: dspp.kusum@gmail.com;

www.energy.rajasthan.gov.in/rreci

क्रमांक:-प.12(4) / आरआरईसी / कुसुम / 2019-20 / प्रे.-1408

दिनांक :-8.7.20

Letter of Award

Online application ID:313557

श्री भानाराम चौधरी

आदर्श विषु नगर भूनिया जिला बाड़मेर

राजस्थान 344704

मोबाइल नंबर 96803 17229

विषय— पी एम—कुसुम कम्पोनेट—‘ए’ योजना के अन्तर्गत राजस्थान के वितरण निगमों के चिह्नित 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुड़ने वाले किसानों की बंजर/ अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु सौर ऊर्जा उत्पादकों का चयन

संदर्भ—
 1 आर. आर.ई.सी द्वारा दिनांक 30.11.2019 को जारी ई ओ आई (EOI) ।
 2 आर. आर.ई.सी. द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक:14.2.20 ।
 3 एम. एन. आर.ई. भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.07.2019 को कुसुम योजना हेतु जारी दिशा निर्देश ।
 4 सभी आवेदकों द्वारा स्वयं की आवेदित, क्षमता के अनुसार जमा आवेदन पत्र ।
 5 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर रु 3.14 प्रति यूनिट संबंधित आदेश दिनांक: 11.2.20 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ एंव विषय में आपके द्वारा पीएम कुसुम कंपोनेट ए योजना के अंतर्गत जोधपुर वितरण निगमों के 33/11 केवी सबस्टेशन **Bhunia** पंचायत समिति **Dhanau** जिला **Barmer** पर 1.5 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु आवेदन मय निर्धारित शुल्क तथा धरोहर राशि किया गया है। उपरोक्त सब स्टेशन पर आपके आवेदन का आरआरईसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक: 14.2.2020 के बिन्दु संख्या 9 में वर्णित चयन प्रक्रिया के कम संख्या—1 के अनुसार चयन किया गया है। आरआरईसी द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) द्वारा निर्धारित विद्युत दर रुपये 3.14 प्रति यूनिट की दर से आपकी आवेदित क्षमता हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु लेटर आफ अवॉर्ड (LOA) जारी किया जाता है।

यह LOA, ई.ओ. आई दिनांक: 30.11.2019 नोटिफिकेशन दिनांक 14.2.20, नवीन एंव नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.7.2019 को जारी दिशा निर्देश एंव उनमें समय समय पर किए गए संशोधनों तथा विद्युत क्या अनुबंध (PPA) के अधीन रहेगा। इस LOA की प्रमुख नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. भारत सरकार के नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाअभियान" कुसुम योजना प्रारंभ की है जिसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 22.07.2019 को जारी किए गए।
2. कुसुम योजना के कम्पोनेट-'ए' के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
3. परियोजना की सम्पूर्ण लागत आवेदक को स्वयं अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से स्वयं ही वहन करनी होगी।
4. उक्त योजना के तहत उत्पादित विद्युत का क्रय राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा रूपये 3.14 प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष तक किया जायेगा।
5. उपरोक्त वर्णित विद्युत दर ₹ 3.14 यूनिट आर. यू. वी. एन तथा सफल एस.पी.जी./प्रोजेक्ट कम्पनी के मध्य हस्ताक्षरित विद्युत क्या अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि (25 वर्ष) के लिये अपरिवर्तित रहेगा।
6. सौर ऊर्जा जनरेटर (एसपीजी) के दायित्व:-
 - 6.1 एसपीजी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि तथा संबंधित आधारभूत संरचना विकसित करने तथा 33/11 केवी सब रेशन से सौर ऊर्जा संयंत्र को जोड़कर निश्चित सन्यावधि में चालू करने के लिए जिम्मेदार होगा।
 - 6.2 एसपीजी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापना हेतु आवश्यक भूमि पर स्वयं का कब्जा होने के दस्तावेज अथवा -Lease लीज एग्रीमेंट प्रस्तुत करेगा।
 - 6.3 सभी आवश्यक दस्तावेजों का संधारण तथा आवश्यकतानुसार सहमति, मंजूरी एंव परमिट प्राप्त करेगा।
 - 6.4 पावर प्रोजेक्ट को, लागू कानून, ग्रिड कोड, उपयोगिता, स्थापित प्रथाओं व अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार डिजाइन, निर्माण, तथा परीक्षण उपरांत चालू करना होगा।
 - 6.5 अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित सम्यावधि (लैटर ॲफ अवार्ड की दिनांक से) में प्रोजेक्ट को चालू कर निर्धारित क्षमता तक वितरण निगम को अनुबंध में निर्धारित अवधि (25 वर्ष) के दौरान लगातार विद्युत आपूर्ति करना।
 - 6.6 एसपीजी इंटरकनेक्शन, मीटिंग, डिलीवरी पॉइंट पर इंटरकनेक्शन की सुविधाओं के साथ पावर प्रोजेक्ट को सब रेशन से जोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।
 - 6.7 पावर प्रोजेक्ट को अनुबंध की अवधि के दौरान अवरोध मुक्त रखेगा।
 - 6.8 उक्त विद्युत क्या अनुबंध (PPA) के तहत किए गए समस्त दायित्वों को पूरा करेगा।
 - 6.9 एसपीजी आर. यू. वी. एन तथा आर.आर.ई.सी. के साथ सीधे समन्वय और व्यवहार करने और बिजली की आपूर्ति की scheduling प्रेषण और विचलन व निपटान तंत्र तथा लागू ग्रिड कोड एंव राज्य के कानून की अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

6.10 एसपीजी को सौर ऊर्जा संयंत्र को राजस्थान राज्य की लागू नीतियों/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप राज्य नोडल एजेंसी (आर.आर.ई.सी.) में पंजीकरण के बारे में लागू नियमों का पालन करना आवश्यक होगा तथा संबंधित राज्य सौर ऊर्जा नीति के तहत आरआरईसीएल को देय शुल्क के बारे में अपडेट रहना भी एसपीजी की जिम्मेदारी होगी।

6.11 एसपीजी को वितरण निगम में नियमानुसार संयोजन शुल्क (Connectivity Charges) जमा करने होंगे।

6.12. एसपीजी को गिड कोड व अन्य संबंधित विनियम/अधिनियम की पालना करनी होगी।

7. परियोजना सुरक्षा राशि (PBG)

7.1 एस.पी.जी. को LOA जारी होने की तिथि के 30 दिन के अन्दर 5 लाख रु. प्रति मेगावाट की दर से परियोजना सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रबंध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्रापट् अथवा बैंक गांरटी के रूप में जमा करानी होगी तथा बैंक गांरटी की वैदाता कम से कम 15 माह तथा दावा अवधि कम से कम तीन माह होनी चाहिए। बैंक गांरटी का प्रारूप परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

7.2 एस.पी.जी. द्वारा परियोजना सुरक्षा राशि 30 दिन के पश्चात व 60 दिन तक जमा करने की स्थिति में PBG को मय विलग्ज शुल्क (जोकि PBG राशि पर 12 प्रतिशत की दर से निर्धारित होगा जिसकी गणना 30 दिन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के आधार पर होगी) के साथ जमा करानी होगी। परन्तु इस परिस्थिति में भी प्रोजेक्ट स्थापना की समयावधि की गणना LOA जारी होने की कराने में विलम्ब की स्थिति से ही की जायेगी।

7.3 एस.पी.जी. द्वारा प्रोजेक्ट कमीशनिंग करने के 30 दिन बाद पी.बी.जी. को लौटा दिया जायेगा।

7.4 एस.पी.जी. द्वारा निर्धारित समयावधि (60 दिन.) में परियोजना सुरक्षा राशि जमा कराकर विद्युत क्य अनुबन्ध करने की स्थिति में, एस.पी.जी. द्वारा आर.आर.ई.सी. में जमा करायी गई EMD की राशि को विद्युत क्य अनुबन्ध करने के 30 दिन बाद लौटा दिया जायेगा।

7.5 एस.पी.जी. द्वारा निर्धारित समयावधि में परियोजना सुरक्षा राशि जमा कराकर विद्युत क्य अनुबन्ध नहीं करने की स्थिति में, एस.पी.जी. द्वारा आर.आर.ई.सी. में जमा करायी गई EMD की राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा एस.पी.जी. को आवंटित सौर ऊर्जा क्षमता को निरस्त कर दिया जायेगा। तथा इस सम्बंध में आवेदक कोई अधिकार/ आपत्ति नहीं कर सकेगा।

8. विद्युत खरीद अनुबंध (Power Purchase Agreement)

8.1 चयनित एसपीजी के साथ राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा बिजली की खरीद हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत खरीद अनुबंध किया जाएगा। पीपीए की अवधि व्यावसायिक संचालन तिथि (Commercial Operation Date-COD) से मानी जाएगी।

8.2 25 वर्ष के बाद एसपीजी व वितरण निगम आपसी सहमति से निर्धारित दर व अन्य शर्तों के साथ पीपीए की अवधि को बढ़ा सकेंगे।

8.3 एसपीजी को भुगतान सुरक्षा के उपाय के रूप में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट (Letter of Credit-LC) और एसक्रो (ESCROW) अकाउंट की व्यवस्था पीपीए में वर्णित शर्तों के अनुसार की जाएगी।

9. Financial Closure

एसपीजी के द्वारा प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु आवश्यक 100 प्रतिशत पूँजी की व्यवस्था पीपीए साइन करने की तिथि से 5 माह में करनी होगी। इस संदर्भ में एसपीजी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त स्वीकृति की प्रति आरआरईसी को उपलब्ध करवाएगा।

10. सौर ऊर्जा के न्यूनतम उत्पादन में कमी:-

- 10.1 एसपीजी को पीपीए अवधि के दौरान कम से कम 15 प्रतिशत वार्षिक Capacity Utilization Factor (CUF) बनाये रखना अनिवार्य होगा।
- 10.2 सी यू एफ 15 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति में कमी के लिए एसपीजी द्वारा पीपीए में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी।
- 10.3 विद्युत तंत्र (Grid) की अनुपलब्धता या एसपीजी के नियंत्रण से बाहर स्थिति होने पर इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। Force Majeure की स्थितियों में क्षतिपूर्ति का प्रावधान लागू नहीं होगा।

11. सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की अवधि (Commissioning Period):

- 11.1 एसपीजी को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु LOA जारी करने की तिथि से 9 माह की अवधि में कमीशन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट चालू नहीं करने की स्थिति में पेनल्टी राशि को PBG से PPA की शर्तों के अनुसार वसूल किया जाएगा।
- 11.2 सौर ऊर्जा संयंत्र के LOA जारी होने की तिथि से 9 माह पश्चात 11 माह की अवधि तक खीकृत क्षमता कमीशन नहीं होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार पेनल्टी वसूल कर पीपीए में उस समय तक स्थापित हुई क्षमता के बराबर संशोधित किया जायेगा।

12. व्यावसायिक संचालन तिथि (Commerical Operation Date-COD):

कमिशनिंग कमेटी द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के कमीशन होने की वार्तविक तिथि को ही व्यावसायिक संचालन तिथि घोषित किया जायेगा।

13. एस.पी.जी को बढ़ा हुआ मूल्यहास (Accelerated Depreciation), सीमाकर की रियायत, उत्पाद शुल्क की छूट, आयकर छूट आदि राजकोषीय रियायतें नियमानुसार ही प्राप्त होगी। परन्तु एस.पी.जी. इन्हे प्राप्त करने में असफल रहता है, तो इसके लिए RREC/RUVNL जिम्मेदार नहीं होगें तथा इसका कोई प्रभाव उपरोक्त विद्युत खरीद दर पर नहीं होगा।
14. चयनित एस.पी.जी. उसको आवंटित सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने हेतु स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) प्रोजेक्ट कम्पनी के माध्यम से कर सकता है। ऐसी प्रोजेक्ट कम्पनी का पंजीकरण पी.पी. ए. करने से पूर्व कराना होगा। तथा पी.पी.ए. इस एस.पी.वी कम्पनी के नाम से किया जायेगा। ऐसी कम्पनी में एस.पी.जी. की हिस्सेदारी आधिक्य (Majority) में होनी चाहिए।
15. एस.पी.जी. द्वारा प्रोजेक्ट कम्पनी/एस.पी.वी. में अपनी हिस्सेदारी को सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने की तिथि से कम से कम 1 वर्ष तक बनाये रखना होगा।
16. एस.पी.जी. द्वारा, विद्युत क्य अनुबन्ध को निर्धारित समयावधि (30 दिन) में सुविधाजनक तरीके से करने हेतु 21 दिन की समयावधि में ही PBG व अन्य वांछित दस्तावेज जमा कराकर आर.ई.सी. को सूचित करना होगा।
17. अपरिहार्य कारणों से, एस.पी.जी. द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु आवेदन में दर्शाइ गई भूमि में परिवर्तन स्वयं के जोखिम व कीमत पर किया जायेगा।

18. पी.पी.ए., प्रोजेक्ट चालू होने की दिनांक से 25 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा।
19. सौर ऊर्जा उत्पादक के चयन हेतु जारी EOI और विद्युत क्य अनुबन्ध के कियान्वयन में होने वाले विवाद भारतीय कानून के अनुसार हल किये जायेगे तथा इसके लिये न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
20. एस.पी.जी. को LOA की तिथि से 30 दिन के भीतर परिशिष्ट-क में वर्णित दस्तावेजों की सूची के अनुसार दस्तावेज जमा कराने होगे।
21. प्रत्येक एसपीजी को चेक लिस्ट(परिशिष्ट-1) में वर्णित स्वयं से संबंधित दस्तावेजों को कवरिंग लेटर (परिशिष्ट-2) के साथ निर्धारित तिथि व समय पर आरआरईसी में जमा करा कर दीजिए साइन करना होगा।
22. जिन 33/11 केवी सब-स्टेशनों पर सफल सौर ऊर्जा उत्पादकों का चयन किया गया है ऐसे सभी सब-स्टेशनों की सूची आरआरईसी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जा रही है तथा इसकी सूचना छाटअप/मोबाइल मैसेज द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
23. डाक पहुंचने में विलंब/देरी को देखते हुए उपरोक्त एल.ओ.ए की एक प्रति आरआरईसी के क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक/अधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जा रही है। अतः एसपीजी बिना डाक का इंतजार किए आरआरईसी के क्षेत्रीय कार्यालय से अपना अधिकृत पहचान पत्र दिखाकर एल.ओ.ए की प्रति प्राप्त करे लें तथा पीपीए हस्ताक्षर करने हेतु आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दें। आरआरईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूचि (परिशिष्ट-4) पर उपलब्ध है।
24. पीपीए करने वाले सफल आवेदकों की संख्या व कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए आरआरईसी द्वारा चयनित प्रोजेक्ट के जिले के आधार पर समय सारणी, इस पत्र के साथ परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रोजेक्ट के जिले हेतु निर्धारित समय पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर मुख्यालय पर उपस्थित हो तथा निर्धारित समय से पूर्व ही अपना रजिस्ट्रेशन कराकर असुविधा से बचे। सभी एसपीजी जिन्हे एल.ओ.ए जारी किया जा रहा है वह अपने सभी वांछित दस्तावेजों की रकेन दृगपी व पीपीए में भरने योग्य जानकारी (परिशिष्ट-6) में भरकर आरआरईसी मुख्यालय में निर्धारित तारीख से पूर्व ई-मेल आईडी Email ID-dspp.kusum@gmail.com पर आवश्यक रूप से भेज दें ताकि जॉच में होने वाली देरी से बचा जा सकें।

उपरोक्त के मददेनजर आप से निवेदन है कि आप विद्युत क्य अनुबन्ध निर्धारित समयावधि व शर्तों के अनुसार साईन करे अन्यथा आपको आवंटित क्षमता को निरस्त कर दिया जायेगा।

विशेष:- COVID-19 (करोना वायरस) के संक्षमण की वर्तमान विषम परिस्थितियों के मददेनजर विद्युत क्य अनुबंध करते समय संभावित भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन व अन्य सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित कर ही राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम कार्यालय में उपस्थित हो। इस संदर्भ में सभी आवेदक समय से वांछित दस्तावेज जमा करवा दें तो पीपीए साईन करने की सुविधाजनक समय सारणी निर्धारित की जा सकेगी।

म.
 (एस.आर. महल्दा)
 निदेशक (तकनीकी)

चैक लिस्ट

अ—व्यक्तिगत किसान /किसानों का समूह

- 1 कवरिंग लेटर (परिशिष्ट-2)
- 2 परियोजना शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारण्टी (परिशिष्ट-3)
- 3 आवेदक का फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आई डी की प्रति अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्य पहचान पत्र)
- 4 विद्युत कय अनुबंध साईन करने हेतु अधिकृत व्यक्ति हेतु प्रमाण पत्र
- 5 अधिकृत व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र
- 6 भूमि की जमा बन्दी / नक्शा रजिस्ट्री की प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)
- 7 भूमि समूह में होने पर अन्य हिस्सेदारों का सहमति पत्र
- 8 विद्युत कय अनुबंध हेतु ₹ 500/- का एसपीजी के नाम से खरीदे गये दो स्टाम्प पेपर 60 पाई पेपर सहित।

ब— सहकारी संस्था/किसान उत्पादक संघ/जल उपभोक्ता संगठन

- 1 कवरिंग लेटर (परिशिष्ट-2)
- 2 परियोजना शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारण्टी (परिशिष्ट-3)
- 3 पंजीकरण की प्रति मय सदस्यों की सूची
- 4 अधिकृत व्यक्ति को अधिवृत्त करने का प्रमाण पत्र
- 5 अधिकृत व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र
- 6 भूमि की जमा बन्दी / नक्शा रजिस्ट्री की प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)
- 7 भूमि मालिक के साथ लीज एग्रीमेन्ट की प्रति
- 8 विद्युत कय अनुबंध हेतु ₹ 500/- का एसपीजी के नाम से खरीदे गये दो स्टाम्प पेपर 60 पाई पेपर सहित।

स—विकासकर्ता (भूमि लीज पर लेने वाले आवेदकों के लिए)

- 1 कवरिंग लेटर (परिशिष्ट-2)
- 2 परियोजना शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारण्टी (परिशिष्ट-3)
- 3 प्रोजेक्ट विकासकर्ता कम्पनी के पंजीकरण पत्र की कापी,(किसी एस.पी.वी. के माध्यम से कियान्वित किये जाने की स्थिति में)
- 4 एस.पी.वी. कम्पनी में सम्मिलित निदेशकों। प्रमोटर्स का विवरण व उनके हिस्सेदारी का कार्यशील चार्टड अकाउन्टेंड/कम्पनी सेक्टरी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जो कि LOA तिथि के पश्चात जारी किया गया हो।
- 5 मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन (MOA) की कापी जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा /विद्युत उत्पादन एक उद्देश्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।
- 6 एस.पी.जी. को उसके द्वारा आवेदन में दर्शायी गई भूमि जिस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना है, उसके निजी मालिकाना हक अथवा लीज पर होने के दस्तावेजी प्रमाण।
- 7 विद्युत कय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अधिकृत करने का प्रमाण पत्र।
- 8 कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पारित बोर्ड रेज़यूलेशन की मूल प्रति
- 9 अधिकृत व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र।
- 10 विद्युत कय अनुबंध हेतु ₹ 500/- का एसपीजी के नाम से खरीदे गये दो स्टाम्प पेपर 60 पाई पेपर सहित।

द—व्यक्तिगत किसान/किसानों का समूह (पीपीए एसपीवी कम्पनी के माध्यम से किये

जाने की स्थिति में)

1	कवरिंग लेटर (<u>परिशिष्ठ-2</u>)
2	परियोजना शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्रापट / बैंक गारण्टी (<u>परिशिष्ठ-3</u>)
3	प्रोजेक्ट विकासकर्ता कम्पनी के पंजीकरण पत्र की कापी, (किसी एस.पी.वी. के माध्यम से कियान्वित किये जाने की स्थिति में)
4	एस.पी.वी. कम्पनी में सम्मिलित निदेशकों / प्रमोटर्स का विवरण व उनके हिस्सेदारी का कार्यशील चार्टड अकाउन्टेड / कम्पनी सेकेटरी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जो कि LOA तिथि के पश्चात जारी किया गया हो ।
5	मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन (MOA) की कापी जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा / विद्युत उत्पादन एक उद्देश्य के रूप में सम्मिलित किया गया हैं ।
6	एस.पी.जी. को उसके द्वारा आवेदन में दर्शायी गई भूमि जिस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना है, उसके निजी मालिकाना हक अथवा लीज पर होने के दस्तावेजी प्रमाण
7	विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अधिकृत करने का प्रमाण पत्र ।
8	कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पारित बोर्ड रेज्यूलेशन की मूल प्रति
9	अधिकृत व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र ।
10	विद्युत क्रय अनुबंध हेतु ₹ 500/- का एसपीजी के नाम से खरीदे गये दो स्टाम्प पेपर 60 पाई पेपर सहित ।

कवरिंग लेटर

आवेदक का रजिस्ट्रेशन नं 0-----

आवेदक का नाम एवं पता-----

मोबाईल नं 0 / हाटसप नं 0-----

श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम
ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर-302001 (राजस्थान)

विषय:- पी एम-कुसुम कम्पोनेट-'ए' योजना के अन्तर्गत राजस्थान के वितरण निगमों के चिह्नित 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुड़ने वाले किसानों की बंजर/ अनुपयोगी भूमि पर 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु सौर ऊर्जा उत्पादकों का चयन !

संदर्भ:- आरआरईसी द्वारा जारी एल.ओ.ए नं 0-----दिनांक:-----

महोदय,

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जारी लेटर ऑफ एवार्ड (एल.ओ.ए) जिसके द्वारा मुझे/हमें (आवेदक का नाम) को - वितरण निगम के 33/11 केवी सबस्टेशन पंचायत समिति पर मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु चयनित किया गया है। इस संदर्भ में मैं/हम निर्धारित परियोजना सुरक्षा राशि जो कि डी.डी./बैंक गारण्टी के रूप में है, प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विवरण निम्नानुसार है।

आवेदक का नाम	श्रेणी किसान/सहकारीसंस्था/ पंचायत/एफपीओ/ डब्ल्यूयूए/विकासकर्ता	आवंटित क्षमता (मेगावाट)	सब-स्टेशन का नाम/पंचायत समिति/जिला	डी.डी./बैंक गारण्टी का विवरण		
				राशि (रु लाख में)	डी.डी./पीबीजी नं 0	जारी करने की दिनांक/बैंक का नाम/वैद्यता दिनांक

एलओए में वांछित दस्तावेज निम्नानुसार संलग्न है:

1. 500रु के 2 स्टाम्प पेपर 60 पाई पेपर सहित (आवेदक / एसपीवी के नाम से)
2. डी.डी./बैंक गारण्टी उपरोक्तानुसार।
3. पावर ऑफ एटरनी/घोशणा पत्र/ पीपीए हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया प्रमाण—पत्र
4. अधिकृत व्यक्ति की फोटो पंहचान पत्र
5. एसपीवी/सहकारी संस्था/एफपीओ/डब्ल्यूयूए/आदि की स्थिति में—
 अ. कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पारित बोर्ड रेज्यूलेशन की मूल प्रति
 ब. रजिस्ट्रेशन की प्रति
6. जमाबन्दी की मूल प्रति और राजस्व नक्शा या रजिस्ट्री
7. आवेदक विकासकर्ता होने पर:

- अ. लीज अनुबंध की प्रति
 ब. वर्ष 2019-20 के लिए सी.ए द्वारा नेटवर्थ प्रमाण-पत्र

मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैंने/हमने उपरोक्त आवंटित परियोजना को रपेशन परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) में-----के द्वारा स्थापित व संचालित करना चाहता हूँ। अतः मैं/हम यह पीपीए उक्त फर्म के नाम से करने हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं। इस एसपीवी कंपनी में मेरी शेयर होल्डिंग ----- प्रतिशत है जो कि अन्य शेयर होल्डर की तुलना में आधिक है।

इस पत्र के साथ संलग्न सूचना/दस्तावेज मेरी जानकारी व समझ के अनुसार पूर्णतः सही है। यदि मेरे द्वारा संलग्नित कोई भी सूचना अथवा दस्तावेज गलत पाया जाता है तो आरआरईसी को परियोजना कियान्वयन के किसी भी स्तर पर यहाँ तक की पीपीए हस्ताक्षर के बाद भी परियोजना को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत बैंक गारण्टी जब्त करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त के मध्येनजर मैं/हम निवेदन करते हैं कि हमें उक्त आवंटित क्षमता के लिए विद्युत क्य अनुबंध हस्ताक्षर करने की आज्ञा प्रदान करें।

बैंक खाते का विवरण जिसमें आवेदक की अमानत राशि लौटाई जा सके:

खाते का नाम	
बैंक का नाम, शाखा एंव पता	
खाता संख्या	
आईएफसीएस कोड	

अधिकृत व्यक्ति का विवरण जो कि पीपीए पर हस्ताक्षर करेगा:

अधिकृत व्यक्ति का नाम	
पद/आवेदक से संबंध	
पता	
मोबाइल नो	
ई-मेल आईडी	

धन्यवाद,

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

(आवेदक का नाम)

पद, मोहर एंव हस्ताक्षर

मो०१०१/क्वाट्सप न०

बैंक गारंटी का प्रारूप

FORMAT FOR PERFORMANCE BANK GUARANTEE (PBG)

(To be stamped in accordance with Stamp Act, the Non-Judicial Stamp Paper of Appropriate Value)

Reference:

Bank Guarantee No.: Date:

In consideration of the _____ [Insert name of Solar Power Generator(SPG) submitting the Response to EOI dated 30.11.2019 issued by RRECL for Selection of Developers for setting up of decentralized Grid Connected Solar PV Power Projects of 0.5MW to 2MW capacity near Discom's 33/11kV Substation on farmer's land at village- _____ P.S. _____ Distt. _____ in Rajasthan for supply of power there from on long term basis and RRECL considering such response to the EOI of M/s _____ (Insert name SPG) and selecting the Solar Power Project of the SPG and issuing Letter of Award (LOA) dated _____ to M/s _____ (Insert Name SPG) as per terms of EOI and MNRE guidelines dated 22.7.2019 and the same have been accepted by the selected SPG resulting in a Power Purchase Agreement (PPA) to be entered into, for purchase of Power [from selected Solar Power Developer or a Project Company, M/s. _____ (a Special Purchase Vehicle (SPV), formed for this purpose}, if applicable].

As per the terms of the EOI MNRE guidelines _____ (Insert name & address of Bank) hereby agrees unequivocally, irrevocably and unconditionally to pay to RRECL, E-166, Yudhisther Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Rajasthan) forthwith on demand in writing from RRECL or any Officer authorized by it in this behalf, any amount up to and not exceeding Indian Rupees _____ (Total Value] only,

On behalf of M/s. _____

(Insert name of selected SPG/ Project Company)

1. This guarantee shall be valid and binding on this Bank up to and including _____ (insert date) and shall not be terminable by notice or any change in the constitution of the Bank or the term of contract or by any other reasons whatsoever and our liability hereunder shall not be impaired or discharged by any extension of time or variations or alterations made, given, or agreed with or without our knowledge or consent, by or between parties to the respective agreement.
2. Our liability under this Guarantee is restricted to INR _____ only.
3. Our Guarantee shall remain in force until(insert date). RRECL shall be entitled to invoke this Guarantee till(insert date).
4. The Guarantor Bank hereby agrees and acknowledges that RRECL shall have a right to invoke this BANK GUARANTEE in part or in full, as it may deem fit.
5. The Guarantor Bank hereby expressly agrees that it shall not require any proof in addition to the written demand by RRECL, made in any format, raised at the above mentioned address of the Guarantor Bank, in order to make the said payment to RRECL.
6. The Guarantor Bank shall make payment hereunder on first demand without restriction or conditions and notwithstanding any objection by _____ [Insert name of the selected SPG / Project Company as applicable] and/or any other person. The Guarantor Bank shall not require RRECL to justify the invocation of this BANK GUARANTEE, nor shall the Guarantor Bank have any recourse against RRECL in respect of

- any payment made hereunder
7. This BANK GUARANTEE shall be interpreted in accordance with the laws of India and the courts at Jaipur shall have exclusive jurisdiction.
 8. The Guarantor Bank represents that this BANK GUARANTEE has been established in such form and with such content that it is fully enforceable in accordance with its terms as against the Guarantor Bank in the manner provided herein.
 9. This BANK GUARANTEE shall not be affected in any manner by reason of merger, amalgamation, restructuring or any other change in the constitution of the Guarantor Bank.
 10. This BANK GUARANTEE shall be a primary obligation of the Guarantor Bank and accordingly RRECL shall not be obliged before enforcing this BANK GUARANTEE to take any action in any court or arbitral proceedings against the selected Solar Power Generator/ Project Company, to make any claim against or any demand on the selected SPG / Project Company or to give any notice to the selected SPG / Project Company or to enforce any security held by RRECL or to exercise, levy or enforce any distress, diligence or other process against the selected SPG / Project Company.
 11. The Guarantor Bank acknowledges that this BANK GUARANTEE is not personal to RRECL and may be assigned, in whole or in part, (whether absolutely or by way of security) by RRECL to any entity to whom RRECL is entitled to assign its rights and obligations under the PPA.

Notwithstanding anything contained herein above, our liability under this Guarantee is restricted to INR _____ (Indian Rupees _____ Only) and it shall remain in force until _____ (Insert date). We are liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this Bank Guarantee only if RRECL serves upon us a written claim or demand.

Signature: _____

Name: _____

Power of Attorney No.: _____

For

Insert Name and Address of the Bank]

Contact Details of the Bank:

E-mail ID of the Bank:

Banker's Stamp and Full Address.

Date :

Witness:

1. Signature

Name and Address

2. Signature

Name and Address

Notes:

1. The Stamp Paper should be in the name of the Executing Bank and of appropriate value.

आरआरईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची

क्रमांक	नाम/पद	विधायिका विभाग	फ़ोन नंबर	विधायिका विभाग
1	श्री बी.एल.चौधरी, परियोजना प्रबंधक	डीआरडीए बिल्डिंग, कलेक्टरेट परिसर, जोधपुर	9351079530	जोधपुर, पाली, सिरोही एवं जालोर
2	श्री राजीव नाग, परियोजना प्रबंधक	सी.जी.आर-1, नेहरू प्लेस, टोक रोड, जयपुर	9829295656	जयपुर एवं दौसा
3	श्री सतीश विठ्ठुरी, परियोजना अधिकारी	कमरा नं. 14, Office Campus, जयपुर विद्युत वितरण निलि, नयापुरा, कोटा	9413976748	कोटा, बारा, झालावाड़, बूदी, करोली एवं सवाई माधोपुर
4	श्री नीरज जिंदल, परियोजना अधिकारी (Alwar)	सी.जी.आर-1, नेहरू प्लेस, टोक रोड, जयपुर	9983315897	अलवर, भरतपुर, सीकर, झुँझुनू एवं धौलपुर
5	श्री सुरेन्द्र माथुर, परियोजना प्रबंधक	254, जय नारायण व्यास कॉलोनी, जैसलमेर	9414301997	जैसलमेर
6	श्री जीतेन्द्र, परियोजना अधिकारी (Barmer)	254, जय नारायण व्यास कॉलोनी, जैसलमेर	9462950487	बाइमेर
7	श्री आर.बी.सिंह, परियोजना प्रबंधक	C-819, पंचशील नगर, अजमेर	9413300930	अजमेर, नागोर, भीलवाड़ा एवं टोक
8	श्री आर.बी.सिंह, परियोजना प्रबंधक	C/o श्री नारायण चौधरी, प्लाट नं 332, हिरन मगरी, 9, सवीना, उदयपुर	9413300930	उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बासवाड़ा, चितौरगढ़ एवं झंगरपुर
9	श्री योगेश शर्मा परियोजना अधिकारी	C/o शिक्षा विभाग, परिसर नं 11/1, उमिल सफिल, बोकानर	95304651321	बोकानर, गगानगर, हनुमानगढ़ एवं चरू

TIME TABLE SIGNING THE PPA

S.No.	District	No. of Applicant	Total	Date	Time
1	Jaipur	44	58	10.8.20 (Monday)	10.30 to 3.00PM
	Dausa	10			3.00 to 4.30PM
	Bharatpur	4			4.30 to 5.30PM
2	Alwar	18	54	11.8.20 (Tuesday)	10.30 to 12.00PM
	Baran	4			12.30 to 01.00PM
	Bundi	2			01.00 to 01.30PM
	Dholpur	1			02.00 to 02.30PM
	Jhalawar	6			02.30 to 03.00PM
	Karauli	3			03.00 to 03.30PM
	Kota	4			03.30 to 04.00PM
	Sawai Madhopur	6			04.00 to 5.30PM
	Tonk	10			
3	Ajmer	8	59	13.8.20 (Thursday)	10.30 to 11.30AM
	Nagaur	51			11.30 to 06.00PM
4	Udaipur	1	55	14.8.20 (Friday)	10.30 to 11.30AM
	Chittorgarh	3			11.30 to 05.30PM
	Bhilwara	7			
	Jhunjhunu	44			
5	Sikar	28	65	17.8.20 (Monday)	10.30 to 01.30PM
	Churu	37			02.00 to 05.30PM
6	Barmer	64	64	18.8.20 (Tuesday)	10.30 to 5.30PM
7	Hanumangarh	9	59	19.8.20 (Wednesday)	10.30 to 11.30AM
	Sri Ganganagar	18			11.30 to 01.30PM
	Sirohi	6			02.00 to 02.30PM
	Jaisalmer	26			02.30 to 05.30PM
8	Pali	22	53	20.8.20 (Thursday)	10.30 to 01.30PM
	Jalore	15			02.00 to 03.30PM
	Jodhpur (P.S.Baori+Bhopalgarh+ Mandore)	16			03.300 to 05.30PM
9	Jodhpur (All other P.S.)	60	60	21.8.20 (Friday)	10.30 to 01.30PM 02.00 to 05.30PM
10	Bikaner 1. P.S.Bikaner +Khajuwala 2. P.S. Sridungargarh	51	51	24.8.20 (Monday)	10.30 to 01.30PM 02.00 to 05.30PM
11	Bikaner 1. P.S.Kolayat+Panchoo 2. P.S. Loonkaransar+Nokha	45	45	25.8.20 (Tuesday)	10.30 to 01.30PM 02.00 to 05.30PM
	Total	623	623		

परिशिष्ट-6

PPA में भरने योग्य जानकारी

1	ऑनलाईन पंजीकरण संख्या	
2	आवेदक का नाम	
3	यदि एसपीबी कंपनी बनाई हो तो उसका नाम	
4	स्थाई पूर्ण रजिस्टर्ड पता	
5	सब स्टेशन का विवरण i सब स्टेशन का नाम ii पंचायत समिति का नाम iii तहसील iv जिला	
6	i सब स्टेशन की क्षमता (मेगावाट) ii आवंटित क्षमता (मेगावाट)	
7	स्वीकृत विद्युत विक्रय दर (रु— प्रति यूनिट)	
8	i अधिकृत व्यक्ति का नाम ii पद iii मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर iv मुंपस प्व	